बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 371751 पटना, दिनांक 28/05/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची से अयोग्य परिवार का नाम delete करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्र संख्या-359573 दिनांक-13.03.2018 एवं पत्रांक-367885 दिनांक-07.05.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से अयोग्य परिवारों का नाम delete करने के लिए अपनायी जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया से अवगत कराया जा चुका है ।

उक्त निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार प्रतीक्षा सूची के अयोग्य परिवारों को चिन्हित कर अयोग्य होने के कारणत्व संबंधी विवरण district login से state login में प्रदर्शन हेतु upload किये जाने हैं तथा state login से अपेक्षित कार्रवाई के पश्चात ग्राम सभा से अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रखण्ड स्तर से कार्रवाई की जानी है । साथ ही ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात पुन: प्रखण्ड स्तर से अंतिम रूप से कार्रवाई करने के बाद state login के द्वारा नाम delete करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है ।

इस क्रम में इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य यथा- प्रथम चरण में अयोग्य लाभुकों की पहचान कर delete करने हेतु जिला स्तर से की जाने वाली प्रक्रिया तथा दूसरे चरण में राज्य स्तर से ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु की जाने वाली प्रक्रिया प्राथमिकता से किया जाना अपरिहार्य है ।

विदित है कि अयोग्य परिवार का नाम delete नहीं होने के कारण योग्य परिवारों की वास्तविक संख्या की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है और उक्त कारणों से जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत के साथ ही कोटिवार अनुमान्य वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण नहीं हो पाता है और इससे लक्ष्य के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन प्रभावित होता है, अतएव नाम हटाने की प्रक्रिया को भी कालबद्ध रीति से पूरा कर लिया जाना अनिवार्य हो गया है ।

उपर्युक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से अयोग्य परिवारों को चिन्हित कर दिनांक 31.05.2018 तक district login से state login में प्रदर्शन हेतु upload करने की कार्रवाई हर-हाल में सुनिश्चित कर ली जाय ताकि state login से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ।

प्रतीक्षा सूची से नाम delete करने के प्रस्ताव में ग्राम सभा से अनुमोदन की प्रक्रिया भी विभागीय पत्र संख्या-370600 दिनांक-22.05.18 द्वारा प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु आयोजित बैठक (दिनांक 15.06.2018 तक) में हीं पूरी कर ली जाए । यहाँ स्पष्ट करना है कि प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने एवं प्रतीक्षा सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया भिन्न है, अतएव दोनों का एजेंडा अलग होगा एवं बैठक की कार्यवाही स्पष्ट रूपेण अलग-अलग अंकित किया जाएगा ।

प्रतीक्षा सूची से अयोग्य परिवार का नाम delete करने से संबंधित कार्यवाही में ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात प्रखण्ड स्तर से इस संबंध में state login किये जाने की क्रियाविधि भी दिनांक-25.06.18 तक पूर्ण कर ली जाय ताकि राज्य स्तर से माह जून के अंत तक अयोग्य परिवारों का नाम हटाने की कार्रवाई पूर्ण किया जा सके।

अत: सभी जिले प्रखण्डवार कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप समय सीमा के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराएँ ।

विश्वासभाजन

25/5/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2201 A.doc